रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2010/कार्तिक 12, 1932
No. 610] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2010/KARTIKA 12, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 880(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), 30 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित और भारत सरकार के तत्कालीन विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 309(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में खंड (1) के उप-खंड (ii) के मद (क) में,—

(i) सारणी के बाद और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण : यदि पिछले दो वर्षों के भीतर वसूल न किए गए ब्याज, आय या शेष बची किस्तों के लिए किसी न्यायालय में यदि बंधक रखी गई संपत्ति के विक्रय के लिए कार्यवाहियां आरंभ की गई है तो ऐसी सांपर्श्विक प्रतिभूति के जिसके संबंध में ऐसी निधि या परस्पर फायदा सोसाइटी के पास विधिमान्य संसाधन है, प्राक्कलित वसुलनीय मूल्य को कुल बकाया राशि से घटाया जाएगा"; ।

(ii) स्पष्टीकरण के पश्चात् आने वाली सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

समाप्त अवधि के लिए	उपबंध का विस्तार
(1)	(2)
31-3-2010	
31-3-2011	
31-3-2012	5 वर्ष के दौरान समान आधार पर उपलब्ध न कराया गया बकाया
31-3-2013	
31-3-2014	
31-3-2015	

(iii) इस प्रकार प्रतिस्थापित की गई सारणी के नीचे, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु यह भी कि 31-3-2010 को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का बकाया का आकलन किया जाएगा और 31-3-2015 तक समान किस्तों पर खंड (ii)(क) के अधीन टिप्पण के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा ।

[फा. सं. 11/17/2009-सी.एल.-VI]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 309(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2002 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. 519(अ), तारीख 2 अगस्त, 2005 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2010

G.S.R. 880(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the

following amendments in the notification of the Government of India erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. G.S.R. 309(E), dated the 30th April, 2002, and published in the Gazette of India, in Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th April, 2002, namely :—

In the said notification, in clause (1) in sub-clause (ii), in item (a),—

(i) after the Table and before the Explanation, the following Note shall be inserted, namely :—

"Note : The estimated realisable value of the collateral security to which such Nidhi or the mutual benefit society has valid recourse may be reduced from the aggregate outstanding amount if the proceedings for sale of mortgaged property have been initiated in a court of law within the previous two years of the interest, income or instalment remaining unrealised";

(ii) For the Table occurring after Explanation, the following Table shall be substituted, namely :—

TABLE

For the period ended	Extent of Provision
31-3-2010	
31-3-2011	
31-3-2012	Un provided balance on an equal basis over the 5 years.
31-3-2013	
31-3-2014	
31-3-2015	

(iii) below the Table as so substituted, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

Provided also that the outstanding Non-performing assets as at 31-3-2010 would be worked out and provided according to the note under the clause (ii)(a) on equal installments till 31-3-2015.

[F. No. 11/17/2009-CL.VI]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 309(E), dated the 30th April, 2002 and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 519(E), dated the 2nd August, 2005.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.